



भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण

(सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)

क्षेत्रीय कार्यालय - नागपुर : "नारंग टावर", तिसरी मंजिल, उपआयुक्त यातायात पुलिस (नागपुर शहर)
कार्यालय के सामने, पाम रोड, सिविल लाईन्स नागपुर-440 001 महाराष्ट्र टेलि. 0712-2520091, 2980554
ई-मेल : ronagpur@nhai.org वेबसाईट : www.nhai.gov.in



National Highways Authority of India

(Ministry of Road Transport & Highways, Govt. of India)

Regional Office - Nagpur : "Narang Towers", 3rd Floor, Opp. to Office of Dy. Commissioner of Police Traffic (Nagpur City), Palm Road, Civil Lines, Nagpur- 440 001 Maharashtra. Tel. 0712-2520091, 2980554
e-mail : ronagpur@nhai.org website : www.nhai.gov.in

NHAI/RO/NAG/UT-490/NH-47/Water/2025-26/ 765

Date: 09.06.2025

Invitation of Public Comments

Sub: Four laning of Nagpur-Saoner-Betul section of NH-69 from kms 3.000 to km 59.300 in in the State of Maharashtra and from km 137.000 to km 257.400 in the State of Madhya Pradesh on DBFOT basis -Permission to carry out Horizontal Direct Drilling (HDD) for laying water pipeline across NH at km 12.220 (1 Nos crossing) on Nagpur Betul section of NH-47 -Reg.

Ref.:

1. PD, PIU Nagpur letter no. 974 dated 03.06.2025.
2. EE, Rural Water Supply Division, Zill Parishad, Nagpur letter no. NIL dated 27.03.2025.

It is to inform all concerned that Chief Officer, EE, Rural Water Supply Division, Zill Parishad, Nagpur letter under reference (2) has submitted a proposal for the subjected work and PD, PIU, Nagpur has recommended the above proposal vide letter under reference (1) for approval of the Competent Authority / Highway Administrator.

2. The alignment proposed by that EE, Rural Water Supply Division, Zill Parishad, Nagpur for subject section is as follows:

- Crossing at km 12.220.

3. As per Para-4 of Ministry's Circular No.RW/NH-33044/29/2015/S&R(R), dated 22.11.2016, the Highway Administration shall be put out in the public domain for 30 days for seeking claims and objections (on grounds of public inconvenience, safety and general public interest).

4. In view of the above, the comments / objections of affected public are hereby invited with reference to the Ministry's circular dated 28.01.2016 due to above utility on the subject stretch. The objections / comments may be addressed to the below mentioned address within 30 days from issuance of public comments, beyond due date, no comments / objections will be accepted.

The Regional Officer,
Regional Office - Nagpur
National Highways Authority of India,
"Narang Towers", 3rd Floor,
Opp.to Office of Dy. Commissioner of Police Traffic (Nagpur City),
Palm Road, Civil Lines, Nagpur-440 001; Maharashtra
Tel : 0712-2520091 Email : ronagpur@nhai.org

(Signature)
09/06/25

(Nirmal M. Zade)

General Manager (Tech.)

Copy to:

1. Web Admin., NHAI, HQ, New Delhi- for uploading in NHAI's website [web-admin@nhai.org]
2. Director, NIC, New Delhi - for uploading in Ministry's website [mansoor@nic.in]



भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण

(सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)

क्षेत्रीय कार्यालय - नागपुर : "नारंग टावर", तिसरी मंजिल, उपआयुक्त यातायात पुलिस (नागपुर शहर)
कार्यालय के सामने, पाम रोड, सिविल लाइन्स नागपुर-440 001 महाराष्ट्र टेलि. 0712-2520091, 2980554
ई-मेल : ronagpur@nhai.org वेबसाइट : www.nhai.gov.in



National Highways Authority of India

(Ministry of Road Transport & Highways, Govt. of India)

Regional Office - Nagpur : "Narang Towers", 3rd Floor, Opp. to Office of Dy. Commissioner of
Police Traffic (Nagpur City), Palm Road, Civil Lines, Nagpur- 440 001 Maharashtra. Tel. 0712-2520091, 2980554
e-mail : ronagpur@nhai.org website : www.nhai.gov.in

एनएचएआई/आरओ/एनएजी/यूटी-490/एनएच-47/जल/2025-26/ 765

दिनांक: 09.06.2025

सार्वजनिक टिप्पणियों का आमंत्रण

विषय: महाराष्ट्र राज्य में एनएच -69 के नागपुर -सावनेर -बैतूल खंड पर किमी 3.000 से किमी 59.300 तक और मध्य प्रदेश राज्य में किमी 137.000 से किमी 257.400 तक डीबीएफओटी आधार पर चार लेन का निर्माण - एनएच -47 के नागपुर बैतूल खंड पर किमी 12.220 (1 नग क्रॉसिंग) पर एनएच पर पानी की पाइपलाइन बिछाने के लिए क्षैतिज प्रत्यक्ष क्रिलिंग (एचडीडी) करने की अनुमति - रेग।

संदर्भ:

1. पीडी, पीआईयू नागपुर पत्र क्रमांक 974 दिनांक 03.06.2025।
2. ईई, ग्रामीण जलापूर्ति प्रभाग, जिला परिषद, नागपुर पत्र क्रमांक: शून्य दिनांक 27.03.2025.

सभी संबंधितों को सूचित किया जाता है कि मुख्य अधिकारी, ईई, ग्रामीण जलापूर्ति प्रभाग, जिला परिषद, नागपुर ने संदर्भ (2) के तहत पत्र द्वारा विषयगत कार्य के लिए एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है और पीडी, पीआईयू, नागपुर ने सक्षम प्राधिकारी / राजमार्ग प्रशासक के अनुमोदन के लिए संदर्भ (1) के तहत उपरोक्त प्रस्ताव की सिफारिश की है।

2. ग्रामीण जलापूर्ति प्रभाग, जिला परिषद, नागपुर के कार्यकारी अभियंता द्वारा विषय खंड के लिए प्रस्तावित संरक्षण निम्नानुसार है:

- किमी 12.220 पर क्रॉसिंग।

3. मंत्रालय के परिपत्र संख्या आरडब्ल्यू/एनएच-33044/29/2015/एसएंडआर(आर), दिनांक 22.11.2016 के पैरा-4 के अनुसार, राजमार्ग प्रशासन को दावे और आपत्तियाँ (सार्वजनिक असुविधा, सुरक्षा और सामान्य सार्वजनिक हित के आधार पर) मांगने के लिए 30 दिनों के लिए सार्वजनिक डोमेन में रखा जाएगा।

4. उपरोक्त के मद्देनजर, मंत्रालय के दिनांक 28.01.2016 के परिपत्र के संदर्भ में प्रभावित जनता की टिप्पणियाँ/आपत्तियाँ आमंत्रित की जाती हैं। आपत्तियाँ/टिप्पणियाँ जनता की टिप्पणियाँ जारी होने के 30 दिनों के भीतर नीचे दिए गए पते पर भेजी जा सकती हैं, नियत तिथि के बाद कोई भी टिप्पणी/आपत्तियाँ स्वीकार नहीं की जाएँगी।

क्षेत्रीय अधिकारी,

क्षेत्रीय कार्यालय - नागपुर

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण,

"नारंग टावर", तिसरी मंजिल,

पुलिस उप आयुक्त यातायात कार्यालय के सामने (नागपुर शहर),

पाम रोड, सिविल लाइन्स, नागपुर-440 001, महाराष्ट्र

दूरभाष : 0712-2520091 ईमेल : ronagpur@nhai.org

2
09/06/25

(निर्मल एम. जाडे)

महाप्रबंधक (तकनीकी)

में कॉपी:

1. वेब एडमिन, एनएचएआई, मुख्यालय, नई दिल्ली- एनएचएआई की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु [web-admin@nhai.org]
2. निदेशक, एनआईसी, नई दिल्ली - मंत्रालय की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु [mansoor@nic.in]

मुख्यालय : जी-5 एवं 6, सेक्टर-10, द्वारका, नई दिल्ली - 110 075

Head Office : G-5 & 6, Sector-10, Dwarka, New Delhi - 110 075